फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री उंकार
किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बनाम

विपक्षी : श्री मुरा व अन्य
पत्रावली संख्या : 65/22

दिनांक 23.09.2025

कार्यवाही विवरण

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया गया था तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी का 1/3 हिस्सा अंकित होकर होकर राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी मे संयुक्त खातेदारी से प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे विपक्षी संख्या 1 का किसी प्रकार का कोई अधिकार आधिपत्य नहीं है बावजुद विपक्षी संख्या 1 व उसके परिवार वाले प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे जबरन प्रवेश होकर खेत की पाली पर पूर्वी दिशा की तरफ पेड काट कर गिरा दिये तथा प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने का असफल प्रयास किया जिस पर प्रार्थी द्वारा मना करने पर नही माना तथा प्रार्थी के हक अधिकारों को चुनौती देते हुये बेदखल करने की धमकी दी जिससे विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रारम्भिक आपत्तिया व जवाब मे बताया कि प्रार्थी द्वारा अन्य आवश्यक पक्षकार को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है जिससे प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है साथ ही निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा यह नहीं बताया कि विवाद कौन से आराजी प्रार्थी की है और कौनसी आराजी विपक्षी की है इसका खुलासा नहीं किया साथ ही धारा 80 सी.पी.सी के प्रावधानो का पालन नहीं किया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार है। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं है जिससे प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हित निहित है। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 2 से किसी प्रकार की रिलीफ नहीं चाही है। विपक्षी संख्या 2 भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है। अन्य बिन्दुओं का मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बासंडा पटवार हल्का बांसडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 16 की आराजी नम्बर 137, 138, 139, 1548, [illegible] 1896 किता 09 रकबा 3.2300 हैक्टयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 मूल वाद के [illegible] तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नहीं [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:50:33 IST
Reason: SelfAttested